भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3160
(19 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण करने के लिए गृह ऋण

3160. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए प्रदान किए जा रहे राजसहायता प्राप्त गृह ऋण की जटिल प्रक्रिया और पात्रता की कठिन शर्तों के कारण इसके लाभार्थियों की संख्या बहुत कम ह;और
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसे सहज और सरल बनाने पर विचार करेगी ताकि सरकार का 'सभी के लिए घर' का सपना साकार हो सके?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उन ग्रामीण परिवारों, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) की स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएस) से बाहर हैं, के लिए ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना (आरएचआईएसएस) शुरू की ह; आरएचआईएसएस में 20 वर्षों या ऋण की पूर्ण अवधि, जो भी दोनों में से कम हो, के लिए आवास ऋण की मात्रा को ध्यान में रखे बिना 2.0 लाख की अधिकतम राशि तक आवास ऋण की मूलधन राशि पर 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाती ह; आरएचआईएसएस के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) ह; स्टेक होल्डरों से प्राप्त सुझावों के आधार पर समय-समय पर योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया जाता ह;

*****